PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कालसी

eepmgsykalsi@redfiffmail.com
01360-275015

दिनांक: 28 /05/2020

पत्र सं: 428 /22सी

कार्यालय आदेश

जिला देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ऑनलाईन किये गये कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/34380/2018 वनभूमि प्रकरण के त्वरित गति से निस्तारण हेतु श्री वी0पी0 उनियाल सहायक अभियन्ता को वनभूमि नोडल अधीकृत किया जा रहा है।

(इं0 बी0सी0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो.नि.वि., कालसी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0 मसूरी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(इं0 बी0सी0 पन्त)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो.नि.वि., कालसी

Scanned with CamScanner

(प्रपत्र–43)

73

...का नामः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

(लम्बाई–7.500किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ...थियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि जिसका ...त्रफल 3.0835 है0 है, के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 6.1700 है0 अनवरत सिविल भूमि ग्राम डिरनाड ...वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0
कालसी

...राजस्व उप निरीक्षक
...टी0 आर0 जोशी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र... हेतोल
तह0 त्यूनी

तहसीलदार
त्यूनी

तहसीलदार
त्यूनी

...धिकारी
...वर ...
...डोला

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता (देहरादून)।

...जिलाधिकारी
त्यूनी

जिलाधिकारी
देहरादून

Scanned with CamScanner

(प्रपत्र–13(b)

Justification of Land

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थाई रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेगें। इस मोटर मार्ग से 1800 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेगें एंव इससे देश की उत्पादकता में बढोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढेगी। इस मोटर के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होगें जिससे स्थानीय निवासियों एंव सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एंव सडक न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती–बाडी के कामों में लग जाते है। लेकिन मोटर मार्ग बनने स्थानीय बच्चे स्कूल पढने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सके एंव शिक्षा के स्तर में बढोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मोटर मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेगें एंव यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख–रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम डिरनाड जिनकी जनसख्या को जोडा जा सकेगा तथा इस मोटर मार्ग से पिछडे गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तण की आवश्यकता होगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0
कालसी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0,
कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
नि0ख0 लो0नि0वि0
कालसी

वन क्षेत्राधिकारी
बावर/टोंस रेंज
डिरनाड/कथोला

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)।

Scanned with CamScanner

परियोजना का नामः– **जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली वन भूमि (3.385 हे0) के सम्बन्ध में।**

वैकल्पिक समरेखण निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (निर्माण खण्ड) कालसी के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के (7.50 कि.मी.) स्टेज–। प्रथम के नव निर्माण में आने वाली वन भूमि (3.0835 हे0) हेतु प्रस्तावित है जिसकी ऑनलाईन प्रोज़ल संख्या P/UK/ROAD/34380/2018 है। उक्त मोटर मार्ग को कथियान मोटर मार्ग से 7.50 कि.मी. लम्बाई में जोड़ने हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्राम डिरनाड के ग्रामीण मात्र 7.50 की दूरी में कथियान मार्ग से जुड़ते हैं। जिस कारण उन्हें राजकीय अस्पाताल, उच्च शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ग्राम डिरनाड तक पूर्व में एक जीप रोड बनी हुयी है जिस हेतु इसी समरेखण का ग्रेड सुधार कर पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा मार्ग बनाया जायेगा। इस मोटर मार्ग पर ही समरेखण ले जाने से वृक्षों का पातन भी कम से कम हो रहा है। यदि अन्य वैकल्पिक मार्ग हेतु नया समरेखण का प्रस्ताव गठित किया जाता है तो प्रकिया में काफी समय लगेगा जिस हेतु कम से कम 2 से 3 माह भी लग सकते हैं तथा नये प्रस्ताव को पुनः ऑनलाईन करना पड़ेगा।

उपरोक्त तथ्यों के क्रम में ही वैकल्पिक समरेखण को निरस्त किया गया है।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

Scanned with CamScanner

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
85–राजपुर रोड, देहरादून।

पत्रांकः 972/3–5–2 देहरादूनःदिनांकः 21 नवम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय:– वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या–590/3–5–2 दिनांक 19–08–2015

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण 100 हे0 से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव एवं मलवा निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या–एल–642/14–1–627/89 दिनांक 30–11–1989 में दरों का निर्धारण किया गया था जिसमें प्रति वर्ष उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी का प्राविधान भी था।

2– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दरें वसूली वर्ष 2017–18 तक निर्धारित की गयी है। अतः वर्ष 2018–19 से वर्ष 2020–21 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30–11–1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता है:–

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे0 (रू0 में)	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे0 (रू0 में)	रोड साइड वृक्षारोपण की प्रति कि0मी0। (रू0 में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा0 (रू0 में)
2018–19	2,78,665.00	2,78,665.00	4,17,827.00	1100.00 प्रति वृक्ष
2019–20	3,06,531.00	3,06,531.00	4,59,610.00	1210.00 प्रति वृक्ष
2020–21	3,37,184.00	3,37,184.00	5,05,571.00	1331.00 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि जमा करायी जाय, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नाही है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

संख्या 972/3–5–2 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ/सिवालिक जोन, उत्तराखण्ड।
4. [illegible] वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

(राजेन्द्र कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

Scanned with CamScanner

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,
लो0नि0वि0, कालसी

Email:- eepmgsykalsi@rediffmail.com
Tel:- 01360-275015

पत्र सं0: 439 /22सी

दिनांक 12/06/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 7.500 कि.मी.) हेतु 3.0835 हे0 हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भः– FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक 26.06.2018 तथा इ.डी.एस. आपत्ति दिनांक 13.05.2020।

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग की आपत्तियों का निराकरण निम्न अनुसार किया जा रहा हैः

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1.	In reply to point no. 1, CA site suitability certificate still not found uploaded.	CA site suitability certificate uploaded in additional information sr. no. .
2.	In reply to point no. 4, justification submitted by the State Govt. seems not satisfactory. State Govt. is requested to submit revised proposal up to point no. 22 (as per digital map).	Justification सही कर पुनः upload कर दिया गया है चूंकि यह मार्ग पूर्व में निर्मित एल0वी0आर0 में ही बनाया जा रहा है जिस पर केवल चौड़ीकरण ही हमारे द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग के कि.मी. 3.03 अर्थात् Geo reference map के बिन्दु सं0 16 तक reserve forest तथा कुछ भाग में सिविल सोयम भूमि आ रही है, तत्पश्चात शेष भाग में अधिकतर नाप भूमि आ रही है जिस कारण प्रस्ताव को बिन्दु सं0 40 तक बनाया गया है, चूंकि डिरनाड गांव की अधिकांश आबादी बिन्दु सं0 30 से 40 के मध्य निवास करती है।
3.	In reply to point no. 5, location of village Dirnad still not marked in the KML file.	डिरनाड गांव की लोकशन kml file में अंकित कर दी गयी है।
4.	In reply to point no. 6, no correction made by the State Govt. Shape of digital map and KML file of CA area are still not matching.	Shape of digital map and KML file का area मैच करा दिया गया है।
5.	In reply to point no. 7, neither revised CA scheme nor any justification submitted by the State Govt.	Revised CA scheme को रु. 2,78,665.00 मात्र प्रति हे0 की दर से बनाया गया है जिसमें प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड महोदय के पत्रांक सं0 972/3–5–2/देहरादून दिनांक 21 नवम्बर 2017 के अनुसार बनाया गया है तथा justification of land को पृष्ठ सं0 पर अपलोड कर दिया गया है।
6.	In reply to point no. 9, details of muck dumping area still not added in non forest land column at para B 2.3 in part I.	Muck dumping area has been added in non forest land column at para B 2.3. in Part I.
7.	In reply to point no. 10, it is seen that area of muck dumping sites comes to 0.86 ha instead of 0.597 ha proposed in non forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुल 1.57 हे0 non forest land में as muck disposal चयन किया हुआ है जिसमें से केवल 0.597 हे0 भूमि को ही muck disposal हेतु प्रस्तावित किया गया है। यदि भविष्य में muck अत्यधिक मात्रा में निकलता है, शेष (1.57–0.597 हे0 = 0.973 है) में muck disposal किया जायेगा।
8.	In reply to point no. 11, still benefits of road mentioned instead of reason for locating the project in forest land in the justification uploaded at para D in part I.	Justification for locating project in forest land uploaded at para-D (i) of Part-I satisfacoty

Contd. Pg. 2

Scanned with CamScanner

9.	In reply to point no. 11, it is also mentioned in justification that one jeep road is already constructed. State Govt. may clarify, if any approval under FCA has already been obtained for construction of jeep road?	Justification सही कर पुनः upload कर दिया गया है चूंकि यह मार्ग पूर्व में निर्मित एल0वी0आर0 में ही बनाया जा रहा है जिस पर केवल चौड़ीकरण ही हमारे द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु वनभूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।
10.	In reply to point no. 12 & 13, no correction made by the State Govt.	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।

अधिशासी अभियन्ता 3/6/2020
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0, कालसी

पत्र सं0: /
दिनांक: / /2020

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, एफ.आर.आई., देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड
लो0नि0वि0, कालसी

Scanned with CamScanner